फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री जेता | विपक्षी : श्री मांगीलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 113/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प बांसलिया में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 03.10.2016 से रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन जारी हैं। विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 100, 101, 102, 103 किता 13 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 96 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 78 रकबा 3 बिस्वा आ.चा., आराजी नम्बर 53 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 61 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 60, 62 किता 2 रकबा 5 बिस्वा एवं मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 999, 1001, 1002, 1006, 1023, 1075, 1076, 1093, 1113, 1144, 1184, 1191, 1195, 1199, 1250, 1269, 1300, 1308, 1310, 1322, 1323 किता 21 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 1190 रकबा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1363 से 1372 किता 15 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 20:15:43 IST
Reason: SelfAttested